

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या. 4/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 22 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मार्च, 2014 जिसे सा.का.नि. 179(अ), दिनांक 11 मार्च, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा.सं. 354/26/2013- टीआरयू (पार्ट I)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार